बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका सं० : 15/औ०–02–02/2026 –...../स्वा०, पटना, दिनांक–..... 2026

बिहार औषधि नियत्रण संवर्ग के अतर्गत औषधि निरीक्षक के राज्यांतर्गत सृजित/स्वीकृत कुल–163 पदों का कार्यक्षेत्र का निर्धारण विभागीय अधिसूचना स०–1043 (15), दिनाक– 28.11.2018 द्वारा किया गया है।

उक्त कार्यक्षेत्र के निर्धारण के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को सात औषधि निरीक्षक का कार्यक्षेत्र यथा– 01, 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 के रूप में विभाजित किया गया है, परन्तु केसरिया प्रखण्ड का क्षेत्र किसी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है।

अतएव कार्यहित एवं भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर केसरिया प्रखण्ड क्षेत्र को पूर्वी चम्पारण–03 के साथ शामिल किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(बलबीर कुमार)
सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०–02–02/2026 1261(15A) **/स्वा०, पटना, दिनांक–** 10/11/ **2026**

प्रतिलिपि . प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) को बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि . माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–15ए, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त/आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि . सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सका पदाधिकारी, बिहार/सभी उप औषधि नियंत्रक, बिहार/सभी सहायक औषधि नियंत्रक, बिहार/सभी औषधि निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.11.2026
सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

Desktop/Drug -1